Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January 2024 5(1), 783–790

भारतीय समाज में हिन्दू कोड बिल के महत्व का अध्ययन

Sunita Nirankari [1], Dr. Shagufta Parveen [2]

[1] Research Scholar, Department of Arts Mangalayatan University, Beswan, Aligarh, India
[2] Assistant professor, supervisor, Department of Arts Mangalayatan University, Beswan, Aligarh, India

ABSTRACT

हम प्राचीन भारतीय इतिहास में देखते है कि दशरथ की तीन पत्नियाँ थीं। याज्ञवल्क्य ऋषि की एक ही समय में दो पत्नियाँ थी। क्या हमारा भी यही आदर्श होना चाहिए? राम ने सीताकी अग्नि परीक्षा करने के पश्चात् गर्भवती सीता को सन्देह और धोबी के लोक अपवाद पर ही ऐसी दयनीय दशा में अपने पास रखने से इंकार कर दिया और धोखा देकर लक्ष्मण के साथ उसे वन में धकेल दिया। जहाँ उसे बाल्मीकि के आश्रम में दुक्खमय जीवन बिताना पड़ा। क्या मेरी बहन यही चाहती है कि भारतीय हिन्दू नारी निरीह तथा निर्दोष सीता की तरह पतियों के झूठे आरोपों पर जंगलों में मारी मारी फिरें। सती सावित्री ने जो त्याग किया और अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया, किन्तु क्या पुरुषों ने भी कभी ऐसी तपस्या और त्याग कासबूत दिया है।आज के युग में नारी दास बनकर नहीं रह सकती। वह पति के बराबर अधिकार चाहती है। वह पति पर अत्याचार नहीं करना चाहती किन्तु वह पतियों के अत्याचारों को अब तक सहन करती आ रही है, अब अधिक जुल्म सहन नहीं कर सकती। यह झूठे और काल्पनिक आदर्श, जो पुरुषों ने अपनी स्वार्थपूर्ति और कामवासना की पूर्ति के लिए गढ़ रखे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधुर पति पत्नी के शव को जलाने के पश्चात् उसकी चिता की आग ठण्डी न होने से पहले श्मशान भूमि में ही दूसरे विवाह के लिए वाग्पान ले ले, किन्तु विधवा पत्नी जीवनभर मृत पति का नाम लेकर रोती रहे। न तो उसे अपने पतृपक्ष में सम्पत्ति का अधिकार और न ही ससुराल पक्ष में सम्पत्ति का अंशदान । वह पहले तो मृत पति की चिता में जीवित जलाई जाती रही और अब भिखारिन से भी निन्दनीय और निरादरपूर्ण जीवन व्यतीत करे। पति एक समय में अनेक पत्नियों और रखैल 'उप पत्नियाँ' रखने का अधिकारी है, किन्तु पत्नी बेचारी को एक पति का भी पूर्ण आश्रय प्राप्त नहीं। क्या पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता के एक रक्त बिन्दु तथा माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती ? क्या लड़कियों में पशुओं का दिमाग रहता है और लड़कों में देवताओं का? क्या दोनों में समान बुद्धि नहीं है? क्या लड़की लड़के की भाँति शिक्षा में कुशलता पाने में अयोग्य है? स्त्रियों और शूद्रों पर शिक्षा प्राप्ति के दरवाजे ईर्ष्यालु पुरुष पण्डितों ने बन्द कर दिए। मेरे विचार में नारी अधिक सहनशीलता, अधिक त्यागवृत्ति, अधिक स्नेह और बौद्धिक रूप से अधिक कौशलपूर्ण है, किन्तु

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.2247

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

उसे झूठे आदर्शों के जाल में फँसाकर आज तक उसे मूर्ख और पंगु सा बना दिया है। स्वाधीन भारत में स्त्री को भी पुरुषों की भाँति समान अधिकार चाहिएँ। हिन्दू कोड उस दिशा की ओर एक कदम है। भारतीय स्त्रियाँ इस कोड बिल के पारित हो जाने पर अपने वैध तथा चिरवंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। सारे सभ्य संसार के समाजों में स्त्रियों की ऐसी दुर्गति नहीं, जैसी भारतीय स्त्रियों की है। जंगली जातियों में भी स्त्रियों को भारतीय नारियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में नारियों ने भी पुरुषों की भाँति बड़ चड़कर संघर्ष किया है।

प्रस्तावना

भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में हिन्दू कोड बिल की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही थी। उसका विरोध करने में काँग्रेसी, गैर काँग्रेसी, हिन्दू, हिन्दू महासभाई, आर्यसमाजी,सनातन धर्मी और सबसे अधिक बढ़चढ़ कर भाग लेने वाले रामराज्य परिषद के कर्ताधर्ता करपात्री स्वामी, निरञ्जनदेव तीर्थ नन्दलाल शर्मा एम.पी. हरस्वरूप शर्मा आदि थे।[1] इन्हें मारवाड़ी सेठ खूब धन दे रहे थे, ताकि हिन्दू कोड बिल द्वारा उत्तराधिकार में पुत्री और विधवा पत्नी को अंश या हिस्सा न मिले।मारवाड़ी सेठअपने रुपये के बलबूते पर एक दैनिक समाचार पत्र भी इन लोगों ने जारी किया था जिसका नाम तो 'सन्मार्ग' था, किन्तु हमारे विचार में उसका नाम कुमार्ग होना चाहिए था बाबा साहब ने एक दिन सोहनलाल शास्त्री को कहा कि आर्यसमाजी हिन्दू कोड बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं? वह तो अपने आपको बड़े सुधारवादी कहते हैं। हम हिन्दू कोड बिल पास करके कानूनी तौर पर हिन्दुओं का सामाजिक सुधार ही तो करने जा रहे हैं।तुम आर्यसमाजी विद्वानों को जानते हो जाओ मेरे पास उन्हें ले आओ, मैं उनकी शंका का समाधान करूंगा। मेरे विचार में उस समय दिल्ली में आर्यसमाज के दो प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं और काफी उपाधियाँ या डिग्रियाँ भी रखते थे। उनके नाम थे पण्डित गंगाप्रसाद एम. ए. तथा पण्डित धर्मदेव विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति और विद्या मार्तड। इन दोनों व्यक्तियों लेकर दूत सायंकाल 7 बजे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास आया। उन दोनों सज्जनों ने बाबा साहब को आदरपूर्वक नमस्ते किया। पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय की आयु लगभग 75 वर्ष की थी। उनसे डॉ0 अम्बेडकर ने पूछा कि तुम हिन्दू कोड बिल का विरोध क्यों करते हो ? गंगाप्रसाद जी ने कहा कि हिन्दू कोड बिल संयुक्त परिवार के टुकड़े टुकड़े करता है। बाबा साहेब ने कहा कि तुम्हारा मनु महाराज स्वयं कहता है कि पिता के मर जाने पर पुत्र जुदाजुदा गृहाग्नि कर लें। जुदाजुदा हवन करने से धर्म बढ़ता है गंगाप्रसाद ने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है। मैंने स्वयं मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है।[2]तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दूत को अपनी पुस्तक भण्डार से मनुस्मृति लाने के लिए कहा और उसमें से निम्नलिखित श्लोक सुनाया।

एवं सह वसेयुवपृथग्या धर्म काम्यया।

पृथग्विर्धते धर्मस्तस्माद्धर्म्या पृथक्रिया।।

मनु, अध्याय 1 श्लोक 111

अर्थात पिता के मर जाने पर पुत्र एकत्रित रहें या अलगअलग हो जाएं।पुत्रों के अलगअलग हो जाने पर धर्म की वृद्धि होती है। क्योंकि अलगअलग हुए पुत्र जुदाजुदा धर्म क्रिया करके धर्म में वृद्धि करते हैं। और कहा कि इसका अर्थ यही है कि पिता के मर जाने पर पुत्र आपस में अगर बंटवारा करलें, तो इससे धर्म बढ़ेगा। उपाध्याय जी तो यह सुनकर मौन धारण कर गए।अब आई बारी पण्डित धर्मदेव विद्यालंकर की। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ सहमत है, किन्तु विवाह विच्छेद या तालक का कानून बनने से गृहस्थाश्रम की मर्यादा टूट जाएगी। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ कर अदालतों में तलाक लेने भागे फिरेंगे।[3] हम भारतीयों की सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है। उनकी शादियाँ तो आपसी कन्ट्रेक्ट 'संविदा' है, जो किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, किन्तु हमारा विवाह तो परस्पर आत्मिक बन्धन का रिश्ता है, जो जन्म जन्मान्तरों तक बना रहता है। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि जब एक हिन्दू कई पत्नियों से विवाह कर लेता है और साथ ही कहता है कि पत्नी तो अर्धागिनी है। एक पति ने यदि चार पत्नियां कर रखी हों तो उन्हें चतुरंगिनी कहोगे या अर्धागिनी धर्मदेव जी ने कहा कि हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषात्तम रामचन्द्र ने एक पत्नीव्रत ही धारण किए रखा। बाबा साहब बोले रामचन्द्र के पिता की तो तीन पत्नियां थीं। तुम्हारे याज्ञवल्क्य महर्षि को जो हिन्दू कानून का मनु के बाद बड़ा भारी कानून अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति को बनाने वाला है, जिसका प्रचार आज भी हिन्दुओं में हो रहा है। क्या ऐसी हालत में पत्नी को अर्धागिनी कहा जा सकता है। अर्धागिनी अर्थात पति का आधा अंग तो तभी कहा जाएगा जब एक समय में एक ही पत्नी होगी। पण्डित धर्मदेव जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने शिवाय सीता के किसी दूसरी पत्नी को नहीं अपनाया बाबा साहब बोले कृष्ण भी तो तुम्हारा भगवान् है, उसकी कितनी पत्नियां विवाहिता और कितनी अवैध थीं, क्या तुम्हें पता है? बाबा साहब ने कहा कि जिस राम को तुम 'मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो उसने क्या मर्यादा कायम की है। अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया।[4] वह बेचारी बाल्मीकि के आश्रम में जीवन गुजारती रही। क्या तुम्हारी यही मर्यादा है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के सतीत्व की अग्नि परीक्षा करने के बाद भी झूठे लोकापवाद के भय के कारण राम उस बेचारी को गर्भावस्था में धोखा करके निकाल देता है। उसके ह्रदय में न दया आई और न ही लज्जा महसूस हुई। अगर मेरे कोर्ट में सीता मुकदमा दायर करती तो मैं राम को सारी उम्र के लिए जेल में डाल देता। राम की बाल्मीकि रामायण पढ़ने से पता चलता है कि तुम्हारा राम कभी कभी झूठ भी बोल सकते थे।[5]

हिन्दू कोड बिल में पुरूषों के अधिकार

स्वधीनता केवल पुरुषों के लिए ही प्राप्त नहीं की गई, बल्कि इसमें नारी जाति के कल्याण का महान उद्देश्य और उनके कल्याण का ध्येय भी शामिल है। यह थे दुर्गाबाई के तर्क। दुर्गाबाई एक विदुषी और नारी जाति के हितों का सच्चा प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्चकोटि की वकील सिद्ध हुई थी। वैसे भी वह एडवोकेट थीं। सारी गोष्ठी पर उनकी धाक छा गई। उसने पुराणपन्थियों का अपना अकाट्य दलीलों से मुँह बन्द कर दिया। पुरुष प्रतिनिधियों में मा. पी.वी. काणे, मा. रघुनाथ शास्त्री लोणेवाला तथा बख्शी टेकचन्द जी, जो पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और उनके धार्मिक विचार अर्थशास्त्री थे, वह भी एक समय में एक पत्नी व एक पति के विवाह के पक्षपाती थे। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में

विवाह विच्छेद या तलाक के भी स्वामी थे। वह लड़की को सम्पत्ति का हकदार तो बनाना चाहते थे. किन्तु सम्पत्ति की बजाय ससुराल की सम्पत्ति में उनका सम्पत्ति अधिकार होना चाहिए. यह उनका मत था नम्बियार सज्जन जो भतार केरल के प्रतिनिधि थे, वह कहते थे कि हमें हिन्दू कोड बिल पास होने से कोई लाभ नहीं है। हमारे समाज में तो लड़की ही शतप्रतिशत पैतृक या मातृक सम्पत्ति की अधिकारी है।[6] हमारे समाज में विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह भी प्रचलित है। यदि आप 'हिन्दू कोड बिल' जरूर बनाना चाहते ही हो तो भाई को अपनी पैतृक सम्बन्धी बहन के मुकाबले में चौथे भाग से अधिक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। मा. काणे तथा रघुनाथ शास्त्री 'हिन्दू कोड के सब विधानों के पक्षपाती थे और बावजूद ब्राह्मण होने पर भी उनका मत था कि हिन्दुओं के धर्मशास्त्र 'स्मृतियाँ आदि' भी समय समय पर बदलती रही हैं। स्मृतियों और महाभारत में एक समय नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। पाण्डव नियोग प्रथा की ही सन्तान थे। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्य श्वेतकेतु से सन्तान प्राप्ति के लिए स्वयं अयोग्य होने पर नियोग करवाया था। गोमेघ यज्ञ में पशुओं और गाय की बलि भी दी जाती थी और उनका मांस पवित्र प्रसाद मानकर ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा तथा यजमान द्वारा भक्षण किया जाता था। उत्तरवर्ती स्मृतिकारों ने कलियुग में नियोग और गोवध दोनों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है और इन दोनों कामों को अधार्मिक ठहरा दिया था।[7]

इतिहास के शोधार्थियों की जानकारी के लिए नियोग की रस्म या रीति की व्याख्या कर देनी आवश्यक जान पड़ती है। जो पति जीवित अवस्था में सन्तानोत्पन्न करने के अयोग्य हो तो उसकी पत्नी अपनी इच्छा से खुलेआम किसी दूसरे तगड़े पुरुष से अपना कुल चलाने के लिए सम्भोग करवा सकती थी। इसी प्रकार कोई विधवा स्त्री विधवा विवाह न करके देवर अथवा पति के समगोत्री पुरुष से सम्भोग करके सन्तान पैदा कर सकती थी और ऐसी सन्तान वैध और मृत पति की ही वैध सन्तान मानी जाती थी।आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी अपनी प्रसिद्धपुस्तक सत्यार्थप्रकाश में विधवा विवाह के दोष बताते हुए नियोग के गुणोंका वर्णन किया हैं। वह विधवा विवाह के पक्षधर नहीं थे, बल्कि अपने अनुयायियों को नियोग करने की ही शिक्षा दे गए हैं। उनके मत में यह आर्य धर्म और आर्य मर्यादा है। एक विधवा दस पुरुषों तक नियोग करके अपने मृत पति के वंशज पाने के लिए और नियोगकर्ता के वंशज पैदा करने के रूप में नियोग कर सकती थी।[8] मनुस्मृति में भी नियोग की अनुमति मौजूद है और नियोग किसी व्यक्ति से किन लोगों की अनुमति से और किस प्रकार या विधि से किया जाए. सब बातें लिखी हुई है।मा. काणे धर्मशास्त्रों के अद्वितीय प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जिसके आज चार खण्ड हैं, जो उनकी संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के पाण्डित्य का प्रमाण है। क्योंकि वह धर्मशास्त्रों के समय समय पर होने वाले परिवर्तनों और संशोधनों के मर्मज्ञ थे। इसीलिए उनके हिन्दू कोड बिल के विषय में उदार विचार थे। उनकी दृष्टि में हिन्दू कोड' भी वर्तमान समय की एक धर्मशास्त्र 'स्मृति' ही है। अतः इसे पारित करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ ही लाभ है।मा. पी.वी. काणे पूना विश्वविद्यालय के कुलपति और बम्बई होईकोर्ट के योग्य एडवोकेट तथा संस्कृत के धुरन्धर विद्वान थे। चितपावन ब्राह्मण तथा वयोवृद्ध होने पर भी वह सुधारवादी पक्ष के ही थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत की सर्वोत्तम पदवी तथा अलंकार

'भारतरत्न प्रदान किया था। उन्हें राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेसर ऑफ इन्डोलॉजी 'भारत दर्शनतत्व के प्राध्यापक' नियुक्त किया। उनका थोड़े समय पहले ही नब्बे वर्ष की आयु में देहान्त हुआ है। वह बाबा साहब के अध्यापक रहे थे और उन्हें समय समय पर अपनी सदायशपूर्ण राय भी दिया करते थे और उनके सादा जीवन उच्चतम विद्वता तथा सरल स्वभाव का प्रशंसक हो चुका था।[9]हिन्दू कोड बिल की इस गोष्ठी की कार्यवाही गुप्त रखी गई और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई थी। हिन्दू कोड की इसी गोष्ठी से सम्बन्धित एक दो ऐसी बातों काजिक्र करना भी अप्रासंगिक न होगा। यद्यपि इन बातों का सीधा सम्बन्ध हिन्दू कोड से नहीं है, तथापि हिन्दू कोड के घोर विरोधी ब्राह्मणों के चरित्र पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है, जो शोथार्थियों के लिए अवश्य रुचिकर होगा। हिन्दू कोड के घोर विरोधी एक सनातनी पण्डित, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है उन्हें मैंने हिन्दू कन्या को सम्पत्ति के अधिकार न देने के तीन कारण, जिन्हें वह बताने में असमर्थ थे, चुपके से उनके कान में बतला दिए थे। एक आध बार देवनायकाचार्य की अंग्रेजी भाषणों का भावानुवाद संस्कृत भाषा में दिया था और उनकी संस्कृत का भावार्थ अंग्रेजी दोनों को दिया था। 'हिन्दू कोड बिल' के विरोध का मुख्य कार्यालय या हेड आफिस'' तो कलकत्ता में स्थापित था, क्योंकि इन्हें वहाँ के मारवाड़ी सेठ से इस विधेयक के विरोध के लिए धन मिलता था। माधवाचार्य जी दिल्ली में कमला नगर नामक कॉलोनी में स्थित अपने निजी मकान से गोष्ठी में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुआ करते थे। ऐसी हालत में उन्हें उनके घर तक जाने के लिए टैक्सी का किराया ही मिल सकता था।[10]जब 1951 ईसवी में चुनावों का समय आया, तो माधवाचार्य की प्रान्तीय असेम्बली में चुनाव लड़ने के लिए लार टपकी उन्होंने सोहनलाल शास्त्री के पास एक पत्र, जिसमें डाक टिकट भी थे. इस आशय से भेजा कि हिन्दू कोड बिल गोष्ठी के समय उन्होंने जो विचार प्रकट किए थे, उनकी एक प्रति मैं उन्हें भेज दूँ ताकि वह उस वक्त की कार्रवाई को अपने इलेक्शन मैनिफैस्टो 'निर्वाचन घोषणापत्र' में सम्मिलित करके बनियों से धन और जाटों आदि जमींदारों से मत वोट प्राप्त कर सकेंय क्योंकि उन्होंने ''संयुक्त परिवार'' बना रहने का तथा कन्या को सम्पत्ति में अंशदान का विरोध किया था। यह दोनों बातें उसके चुनावों में लाभदायक सिद्ध हो सकती थीं।अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या हिन्दू कोड गोष्ठी के संक्षेप किसी सम्बद्ध व्यक्ति को दिए जा सकते हैं? उन्होंने इससे इन्कार कर दिया कि उस गोष्ठी की सारी कार्यवाही गुप्त रखी गई है। वह किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। पण्डित माधवाचार्य को उनके द्वारा भेजे टिकटों समेत उत्तर दे दिया कि मेरे लिए ऐसा करना असम्भव है। नामालूम उसने अपने निर्वाचन पत्र में क्या झूठ सच लिखा था, मुझे उसका ज्ञान नहीं और ना ही उसे जानने में मेरी दिलचस्पी थी बात आई गई हो गई। किन्तु आगे वर्णित घटना इसी माधवाचार्य से सम्बनिधत है, जिसका वर्णन करना असंगत नहीं होगा। इससे वर्ण–व्यवस्था या जाति पाँति की अवैज्ञानिकता, जिसे सवर्ण और द्विज लोग ब्रह्मा की बनाई व्यवस्था बताते नहीं थकते और चारों वर्णों में जाति भेदभाव को प्राकृतिक मानते हैं, उसमें कितनी विसंगति और अस्वाभाविकता है, इस पर काफी रोशनी पड़ती है।[11]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल पास होने के मार्ग में लगाई गई अड़चनों का जिक्र कर रहे थे। कई गाँधी टोपी पहनने वाले काँग्रेसी भी इस बिल के विरोध में पूरा पूरा यत्न कर रहे थे, किन्तु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से डरते थे

और खुफिया षड्यन्त्रों से इस बिल के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे काँग्रेसी सदस्यों ने पटेल का आश्रय लिया, किन्तु पटेल भी खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे कि हिन्दुओं में सुधारवादी पर्सनल लॉ न बने। उसने इतना कह दिया था कि इस बिल पर संसद में मतदान में प्रत्येक सदस्य को स्वतन्त्रता होगी। पार्टी की ओर से एक मततथा अनुशासनात्मक सचेतक जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा करने का अभिप्राय भी हिन्दू कोड बिल को खटाई में डालना था। बाबू राजेन्द्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वह धार्मिक प्रगति में विश्वास नहीं रखते थे और अगर कहा जाए कि यह पाँगापन्थियों की श्रेणी में अग्रगामी थे, तो अनुचित न होगा। वह हिन्दू मन्दिरों में नंगे पाँव दर्शन के लिए जाते थे। राष्ट्रपति भवन में पौराणिक कथाकारों से कथाऐं करवाते थे। यहाँ तक ही नहीं एक बार उत्तर प्रदेश में सम्पूर्णानन्द मुख्यमंत्री थे। बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने बनारस में जाकर ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए ब्राह्मणों को चाँदी के पत्र चढ़ाकर बीसियों चौकियों पर बिठाकर उनकी पूजा की थी, और ऐसी चौकियों समेत बनारसी पण्डे पुरोहितों को काफी दान भी दिया था। उनके ऐसा करने पर राममनोहर लोहिया ने उनकी जी भर कर निन्दा की और कहा कि भारत का प्रथम पुरुष' 'राष्ट्रपति' धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ा रहा है।[12] इस मामले पर काफी चर्चा भी हुई थी, किन्तु इसे राजेन्द्र बाबू का व्यक्तिगत विश्वास मानकर उन पर अधिक टीका टिप्पणी बन्द हो गई थी। यह बतलाने का प्रयोजन यही है कि ऐसे दकियानूसी और पुराणपन्थी राष्ट्रपति के होते हुए हिन्दू कोड का पारित होना असम्भव था। इस कोड बिल के विरोधियों का भी यही मत था कि अभी तक सारे भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व इस संसद में नहीं है। जब सीधा निर्वाचन होकर प्रतिनिधि संसद में आएंगे, तब ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत करना चाहिए।[13]यही हिन्दू कोड बिल का सबसे बड़ा विरोध था, जिसका प्रचार संसद के बाहर से करवाया जा रहा था और जो अनन्तशयनम् आयंगर स्पीकर संसद के अन्दर बैठे षडयन्त्र रच रहे थे। वह था 'हिन्दू पर्सनल लॉ' को पारित कराने वाला एक जन्मजात अछूत 'बाबा साहब'डॉ भीमराव और उस कानून का प्रभाव सवर्ण हिन्दुओं पर पड़े। यह तत्कालीन कुछ ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती थी । यह सामाजिक या धार्मिक क्रान्ति थी, जो भारत का ब्राह्मण कभी सहन नहीं कर सकता था भारत की यह धार्मिक और सामाजिक उथलपुथल भगवान् बुद्ध की सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति के पश्चात् हजारों वर्षों के बाद एक अछूत समाज सुधारक 'बाबा साहब' कानून मंत्री बने थे। जिससे ब्राह्मणों की नाक ही नहीं कटती थी, बल्कि उनका शताब्दियों का सारे हिन्दू समाज में बना प्रभुत्व और भारत भूमि के देवतासमाप्त हो गये थे कुछ लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब को हिन्दू कोड बिल से कोई वास्ता था इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि अछूतों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में तो यह सुधार पहले से ही प्रचलित थे। उनकी शंका का समाधान इसी से हो जाना चाहिए था कि एक आत्मसम्मानी विद्वान एवं शूरवीर अछूत नेता हिन्दू कोड' बिल पास कराकर यह सिद्ध करना चाहता था कि आज तक तो ब्राह्मणों ने शूद्रों और अन्य दूसरे वर्गों के लिए धर्म शास्त्रों में निहित कानून बनाए हैं, जिनसे हिन्दू समाज का सत्यानाश हुआ है और उन्होंने ''उम्मत को काट डाला, काफिर बनाबनाकर अब एक अछूत नेता ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो समूचे हिन्दुओं को एक सामाजिक और कानूनी सूत्र में बाँधने वाला है, और उसमें किसी भी वर्ग के हिन्दुओं को हानि नहीं पहुँचेगी। बाबा साहब प्रायः कहा करते थे कि हिन्दू शास्त्रों में निहित आदेशों के अनुसार शूद्रों और अछूतों के साथ साथ सारी स्त्री जाति पर चाहे वह किसी भी वर्ण की हो बहुत जुल्म ढाया गया

है।[14] मैं 'हिन्दू कोड' बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिन्दू कोड पर विचार होने वाले दिनों में अनेक सवर्ण जाति से सम्बन्ध रखने वाली और पतियों द्वारा प्रताड़ित अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा, जिन्हें पतियों ने त्यागकर उनके जीवन निर्वाह के लिए नाममात्र का चारपाँच रुपया मासिक गुजारा भत्ता बांधा हुआ था, और वह ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने मातापिता या भाईबन्धुओं के साथ केवल स्वयं रोरोकर व्यतीत कर रही थीं, बल्कि अपने अभिभावकों के ह्रदय भी अपनी ऐसी दुर्भाग्या बहनों तथा पुत्रियों को देखदेखकर शोक में डूबे रहते थे। बाबा साहब का करुणामय ह्रदय ऐसी देवीयों की करुण गाथा सुनकर पिघल जाता था।

निष्कर्ष

हिन्दू कोड बिल के पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरीह स्त्रियाँ कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पिण्ड छुड़ा कर तलाक हासिल कर सकती थीं और जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थीं बख्शी टेकचन्द जी जैसा कट्टर आर्यसमाजी हिन्दू भी अपनी वकालत के दौरान और अपनी व्यवस्था के दौरान सवर्ण हिन्दुओं की ऐसी विवाहिता और पतियों द्वारा प्रताड़ित महिलाओं की दुर्दशा स्वयं अनुभव कर चुका था। इसीलिए आर्यसमाजी नेताओं केसाथ सहमत न होकर भी विवाह विच्छेद, तलाक और एक काल में एक पत्नी के साथ विवाह वैध बनाने में बाबा साहब के साथ बिलकुल सहमत था हिन्दू कोड बिल की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्ही भी दो हिन्दू वरवधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कैसा व कितना भी क्यों न हो, वैध माना जाता है और उनसे उत्पन्न सन्तान पैतृक सम्पत्ति में वैध अधिकारी बन जाती है। जबकि इस कानून से पहले समय में शताब्दियों से प्रचलित परस्पर विरोधी वर्णों जातियाँ उपजातियों में हुए विवाहों में से उत्पन्न सन्तान पैतृक सम्पत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज सन्तान नहीं मानी जाती थी। शताब्दियों से धर्म ग्रंथों में निहित आदेशों के अनुसार तथा हिन्दुओं में प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सजातीय या दोहता को ही सुविधा देती थी, किन्तु हिन्दू कोड बिल न केवल किसी भी हिन्दू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलवाता था, बल्कि किसी कन्या को भी गोद लिया जा सकता है और वह गोद लेने वाले मातापिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है।

CONFLICT OF INTERESTS

None

ACKNOWLEDGMENTS

None

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कल्हैयालाल चंचरीक, पूर्वोक्त, पृ0 81

बसंत मून, डॉव बाबा साहेब अम्बेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, 2004, पृ0 1–3

पूर्वोक्त, पृ0 15–16

बहिष्कृत भारत, संयुक्तांक 6–7, 1 जुलाई 1927, मुम्बई।

धनन्जय कीर, डॉ० अम्बेडकर जीवन धरित, नयी दिल्ली, 1996, पृ0 73.

थामस मैथ्यू सावंतराम, अशोक भारती, क्रान्ति प्रतीक अम्बेडकर, नयी दिल्ली, 1994, पृ0 28––29

डॉ0 एम० एल० शहारे, डॉ० नलिनी अनिल, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्श यात्रा एवं संदेश, नई दिल्ली, 1993, पृ0 293, 300–301

डॉ0 अंगने लाल, बोधिसत्व, डॉ0 अम्बेडकर अवदान, लखनऊ, 1997, पृ0 103

राजेश गुप्ता, डॉ0 अम्बेडकर और सामाजिक न्याय, पृ0 132–133

डॉ0 एम0 एल0 शहारे, डॉ0 नलिनी अनिल, पूर्वोक्त, पृ0 132, शील प्रिय बौद्ध, पूना पैक्ट, क्यों और किसके लिए, दिल्ली, 2003, पृ0 130–31

सेहन लाल शास्त्री, विद्यावाचस्पति, हिन्दू कोडबिल और डॉ० अम्बेडकर, नई दिल्ली, शष्टम् संस्करण, 2004, पृ0 12.

विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ता, भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार, नई दिल्ली, 1997, पृ0 71.

राम विलास भारती, बीसवी सदी में दलित समाज (प्रेस में)

डॉ0 कृष्ण कुमार स्तूप, समकालीन भारतीय दलित समाज, पृ0 7